बिहार में समावेशी शिक्षा की स्थिति

MD ASHRAF PERWEZ
Department of Education from Indira Gandhi National Open University
Corresponding Author Email: ashrafperwez60@gmail.com

Abstract— वर्तमान समय मे समावेशी शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है|समावेशी शिक्षा, शिक्षण की ऐसी प्रणाली है जहाँ समान्य बच्चो के साथ विशिष्ट बालको को एक साथ शिक्षा मुहैया करायी जाती है |विशिष्ट बालको से तात्पर्य है जिसकी बुद्धिलब्धि समान्य औसत से कम हो|विशिष्ट बालक के बच्चे समान्यत: दृष्टि, श्रवण एवम अधिगम अक्षमता तथा मानसिक मंदता और बाधिरधता से ग्रस्त होते है|समावेशी शिक्षा देने का तातपर्य समान्य बालक के साथ विशिष्ट बालक को भी विधालय से जोड़ा जाए तथा सभी बालको को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाए ताकि विशिष्ट बालक को भी आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्राप्त हो एवंम समाज की मुख्यधरा मे शामिल हो सके|शिक्षण की इस नवीन प्रणाली से समान्य बच्चे तो लाभांवित तो होते ही है तथा इससे ज्यादा विशिष्ट बालक जो अपने आप को समाज के पिछले पायेदान मे होने को समझते है, वे भी इस शिक्षण प्रणाली से अपने आप की महत्वा को समझते है तथा समाज के अभिन्न अंग में अपने आप को पाते है|भारत की आजादी मिलने के बाद जितने भी शिक्षा नीति आई सभी मे शिक्षा की तो बात की गई लेकिन समावेशी शिक्षा की तरफ शिक्षाविद्धो की ध्यान ज्यादा नही जा सकी जिसके परिणामस्वरूप देश में समान्य बालको तो शिक्षित हुए लेकिन विशिष्ट बालको की शिक्षा की मनोदशा में व्यापक परिवर्तन नही आ सका|जब देश में ऐसा हाल रहा तो बिहार समावेशी शिक्षा देने में कैसे आगे हो सकता था|बिहार में तो शाक्षरता दर वैसे ही पूरे भारत की सभी राज्यों में सबसे पिछले पायदान पे है जहाँ समान्य बालक की शिक्षा व्यवस्था उतना अच्छा नही हो सका तो विशिष्ट बालको की शिक्षा व्यवस्था तो दूर की बात है|जिसका परिणाम यह हुआ की बिहार मे विशिष्ट बालको की शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय हो गई|लेकिन पिछले दो- तीन दशक से बिहार की शिक्षा व्यवस्था मे आमूलचूल परिवर्तन आया है।यहाँ के बच्चे एवम समाज के सभी तबके के लोग शिक्षा के प्रति सनवेदंशील हुए है एवम शिक्षा की स्थिति मे व्यापक परिवर्तन आया है, जाहिर सी बात है जब समाज जागरूक होगा तो सामाजिक भेद-भाव कम होंगे एवम समान्य बालको के साथ विशिष्ट बालको की भी शिक्षा मनोदशा मे वृद्धि हुई है तथा सभी बालको को समावेशी शिक्षा में शामिल करते हुए उनके देश-विदेश तथा समाज मे अपनी सकरात्मक भूमिका निभाने की कोशिस की जा रही हैं।

Keywords: समावेशी, संवेगिक, बुद्धिलब्धि, आमूलचूल, विशिष्ट, दिव्यांग

I. INTRODUCTION

आज कल के आधुनिक युग में शिक्षा हर किसी के जीवन का अभिन्न अंग है, इसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नही की जा सकती है। शिक्षा न सिर्फ व्यक्ति की जीवन की गहराई को समझाती है, बल्कि व्यक्ति के अंदर सोचने, समझने और सीखने की कला विकसित करती है। शिक्षा व्यक्ति को एक सभ्य एवम सफल व्यक्ति बनाती है। शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की असीम ऊंचाइयों को छू सकता है। आज कल के आधुनिक युग में समावेशी शिक्षा का महत्व तेजी के साथ बढ़ा हैं। समावेशी शिक्षा के कारण ही सभी बालक या तो समान्य हो या विशिष्ट सभी बालको को एक साथ शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। समान्य बालक जिसकी बुध्दिलब्धि औसत हो तथा शरीरिक, मानसिक, संवेगिक सभी रूप में समान्य हो, वे समान्य बालक की श्रेणि मे आते है लेकिन जिन बालको की बुद्धिलब्धि समान्य औसत से कम या अधिक होता है, उनके दृष्टि, श्रवण, एवम अधिगम अक्षमता तथा मानसिक मंदता और बधिरधता से ग्रस्त होते है, वे विशिष्ट बालक की श्रेणि मे आते है| विशिष्ट बालक का अर्थ मनौवैज्ञानिकों के अनुसार विशिष्ट बालकों में सोचने,समझने,सीखने,समायोजन करने आदि की योग्यतायें सामान्य बालकों से अलग पाई जाती हैं। विशिष्ट बालकों में किसी कार्य को सामान्य बालकों की अपेक्षा ज्यादा तेजी से या बहुत देर से करते है|विशिष्ट बालकों के उनकी विशिष्टता के अनुरूप निम्नलिखित समुहों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे – बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक,शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक,सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक आदि ।भौतिक,सामाजिक,बौद्धिक, शैक्षिक आदि परिस्थतियों में सामान्य बालकों से अलग होने के कारण विशिष्ट बालकों को विशिष्ट प्रकार की शैक्षिक , मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है| 'डन' के अनुसार विशिष्ट बालक वह है , जो बौद्धिक , शारीरिक सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में इतना भिन्न है कि बहुसंख्यक बालकों के विकास के लिए बनाई गई कार्य प्रणाली उनको सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध नहीं करा पाती है, और ऐसे बालकों के लिए उनकी योग्यताओं के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त कर सकने के लिये वे विशेष शिक्षण अथवा कुछ स्थितियों में विशेष सहायक सेवायें अथवा दोनों की आवश्यकता होती है ।'हेक' के अनुसार विशिष्ट बालक वह है , जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है । बालकों के व्यक्तित्व के शारीरिक , मानसिक , संवेगात्मक एवं सामाजिक पक्षों के आधार पर विशिष्ट लकों को निम्नलिखित चार प्रकार में वर्गीकरण किया गया है-शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, मानसिक रूप से विशिष्ट बालक, संवेगात्मक रूप से विशिष्ट बालक,सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक।

भारत की आजादी के बाद देश मे बहुत सारी शिक्षा नीति आई लेकिन सभी शिक्षा नीति में विशिष्ट बालको को शिक्षा देने की बात की गयी लेकिन इसका क्रियान्वयन सही से नही हो पाया। सबसे पहली बार कोठारी आयोग ने विशिष्ट बालको को प्राथमिक शिक्षा देने की बात की। उस समय विशिष्ट बालक मात्र 0.17% ही समान्य बालक की अपेक्षा प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे जिस से कोठारी आयोग ने अपने संतुति में कहा की विशिष्ट बालक को भी समान्य बालक के साथ शिक्षा मुहैया कराई जाए। भारत में विशिष्ट बालक को शिक्षा ग्रहण करने में अपने आप को घृणित महसूस हो रहा था, जहाँ विशिष्ट बालक समान्य बालक के साथ अपने आप को समायोजन करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे जबकि समान्य बालक का रवैया भी इनके प्रति सकरात्मक नही था क्योकि उस समय तक इनके प्रति जागरूकता की कमी थी। अभिभावक भी अपने बच्चो में अंतर महसूस कर रहे थे जहाँ एक तरफ अपने समान्य बालक की शिक्षा के प्रति अभिभावक सनवेदंशील होते थे जबकि अपने दूसरे विशिष्ट बालक के शिक्षा के प्रति कुछ ज्यादा सनवेदंशील नही होते थे वे चाहते थे ये बालक जैसे- तैसे शाक्षर हो जाए जब अभिभावक ही अंतर महसूस करते थे तो समाज में भी बहुत व्यापक स्तर पर अंतर होता था। विशिष्ट बालक समाज के अपने आप को पिछले पायदान में पाते थे। लेकिन साथ- साथ सरकार की नीति का थोड़ा बहुत असर होने लगा था अब कही कही सभी बालको को एक समान देखा जाने लगा था तब तक 1986 की शिक्षा नीति भारत में आ गई। 1986 की शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। राष्ट्रिय शिक्षा नीति में विशेष तौर पे कहा गया जहाँ तक सम्भव हो विशिष्ट बालकों

तथा सामान्य बालकों की शिक्षा एक साथ तथा सामान्य बालकों के समान होनी चाहिए।सभी जिला मुख्यालयों में जो विशिष्ट बालक है जिनको समान्य बालक के साथ पढाया नही जा सकता उन सबो के लिए एक शिक्षण संस्थान खोलने का प्रावधान किया गया ताकि उनकी सारी जरूरतों को पूरा करते हुए उन सभी बालको को शिक्षित कराया जाए। भारत का संविधान में भी प्रत्येक बालक की प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा का प्रावधान है जो सभी के लिए आवश्यक है।RTE 2009 के तहत 6-14 वर्ष के बच्चो को निशुल्क प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है।अधिकांश विशिष्ट समूह के बालक या तो शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ही नहीं लेते थे अथवा किसी-न किसी कारणवश शिक्षा आधी-अधूरी छोड़ देते थे। भारत सरकार का रुख यही तक नही रुका सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गयी जिसमे सभी बालको के लिए पढ़ने का ड्रड संकल्प लिया गया तथा सरकार ने ये नारा दिया "सब पढ़े सब बढे"। सर्व शिक्षा अभियान ने विशिष्ट शिक्षा को प्रोत्साहित करने का कार्य किया।भारत में इन विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों हेतु विभिन्न शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं जिन्होंने समावेशी शिक्षा को विशेष योगदान प्रदान किया है।सन् 1986 तथा 1992 का क्रियान्वयन का प्रारूप (POA) प्राचीन स्थापना के सिद्धान्तों को अपनाने की सलाह देता है। इसका ऐसा मानना था कि ऐसे बाधित बालक जिनकी शिक्षा सामान्य स्कूलों में सम्भव है, उनकी शिक्षा केवल सामान्य स्कूलों में ही होनी चाहिए विशिष्ट स्कूलों में नहीं ।जैसे ही वे प्रारम्भिक शैक्षणिक निपुणता सम्प्रेषण कौशल तथा दैनिक जीवन के लिए आवश्यक निपुणताओं को प्राप्त कर लें उनकी शिक्षा सामान्य स्कूल में होनी चाहिए। शिक्षा के समान अवसरों को प्राप्त करने के लिए, क्रियान्वयन के प्रारूप (Programme of Action) ने यह भी आशा दिखाई कि शारीरिक रूप से बाधित बालक अन्य सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक गुणवान तथा प्रभावशाली शिक्षा में प्रवेश करें, इसकी स्वयं सिद्धियाँ निम्नलिखित हैं—

(1) ऐसे बालक जिन्हे समान्य प्राथमिक विधालय में शिक्षा मुहैया कराई जा सकती है-

(i) 19वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बालकों को विशेष रूप से उस विधालय में नामांकन की बात की गई।

(ii) विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा और पाठ्यक्रम के समायोजन के माध्यम से अधिगम का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने की बात की गई।

(2) सामान्य बालकों के अनुरूप बाधित बालकों के स्कूल छोड़कर जाने में कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया,उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्था करने की बात कि गई।

(3) बाधित बालकों को माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में विशिष्ट संसाधन उपलब्ध कराना तथा इन बालकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने कि बात की गई।

(4) सेवापूर्व या सेवायुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षा के कार्यक्रमों को बार-बार दोहराना जो कक्षा में विशिष्ट आवश्यकताओं के प्राप्त करने में सहायक हो। ऐसे छात्रों को अधिक प्रोत्साहन देने की बात की गई।

(5) शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों की शिक्षण एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य नियमों से हटकर शिक्षा के कार्य प्रारूप बनाना तथा उनका पुनः अभिविन्यास करने की बात की गई।

इन सब नीति सरकारी नीति के बावजूद भी दिव्यांग बालक अभी भी शिक्षा उतना प्राप्त नही कर पा रहे अभी भी बहुत सारे प्राथमिक शिक्षा तक प्राप्त नही कर पा रहे है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे(NSS))2018 के 76वें चरण के नतीजों के मुताबिक दिव्यांग व्यक्तियों में से लगभग 49% शिक्षित हैं और 3 से 35 वर्ष के व्यक्तियों में से सिर्फ़ 63%ने कभी किसी नियमित विधालय में अपना नामांकन कराया है, NSS की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि दिव्यांग बच्चों में से काफ़ी कम संख्या में बच्चे अपनी पढ़ाई को जारी रख पाते हैं और सिर्फ़ 23% ही माध्यमिक स्तर की पढाई पूरी कर पाते हैं। जेंडर और दिव्यांगता के प्रकार को लेकर भी भेद भाव साफ तौर पे नजर आता है,ऑटिज़्म और सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चे और दिव्यांग लड़कियों के विधालय में सकल नामांकन अनुपात और शिक्षा हासिल करने की संभावना सबसे कम है।दिव्यांगता की मौजूदगी को लेकर विश्वसनीय आंकड़ों की कमी है। दिव्यांग अपनी आंकडा को बताने में हिचकते है। अलग-अलग आंकड़ों की प्रणाली जैसे जनगणना, राष्ट्रीय सैंपल सर्वे और यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (UDISE) के आंकड़े एक समान नहीं हैं। सभी आंकड़ो में विभिन्नता पाई जाती है। इसकी वजह से आंकड़ों की तुलना नहीं हो सकती। दिव्यांग बच्चों के लिए अलग-अलग तरह के विधालय की अस्तित्व नजर आती है जिनमें नियमित स्कूल, विशेष स्कूल और घर पर शिक्षा शामिल हैं,लेकिन मंत्रालय और अलग-अलग योजनाओं को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार विभागों के बीच कम तालमेल की वजह से और ज़्यादा दिक़्क़तें पैदा होती हैं. शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम में दिव्यांग बच्चों के लिए पड़ोस के स्कूल में नामांकन का प्रावधान है जबकि गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए घर पर शिक्षा का विकल्प है।दूसरी तरफ़ RPWD अधिनियम में पड़ोस के स्कूल या विशेष स्कूल में दाखिला कराने के मामले में दिव्यांग बच्चों की पसंद को मान्यता दी गई है,साथ ही इसमें साफ़ तौर पर समावेशी शिक्षा के अधिकार को परिभाषित किया गया है।RTE अधिनियम और RPWD अधिनियम के बीच तालमेल की कमी दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को वास्तविकता में बदलने की राह में बाधा है।इससे भी बढ़कर समावेशी शिक्षा के लिए नीतिगत संवाद मुख्य रूप से दो मंत्रालयों पर निर्भर है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जहां विशेष शिक्षा के लिए ज़िम्मेदार है वहीं शिक्षा मंत्रालय अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली अलग-अलग योजनाओं के तहत समावेशी शिक्षा का प्रबंधन करता है लेकिन दोनों के दृष्टिकोण में काफ़ी कम तालमेल है।इसके अलावा समावेशी शिक्षा के राज्य स्तरीय क्रियान्वयन के साथ-साथ राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच सहयोग में कमी है।

बिहार जैसे राज्य तो वैसे ही पूरे देश के राज्यो की साक्षरता दर में सबसे निचले पायदान पे है। जब देश में समावेशी शिक्षा का ये हाल है तो बिहार जैसे पिछले राज्य का हाल तो और अच्छा नही होगा जहाँ एक तरफ विशिष्ट बालक अपने परिवार, समाज में ही कुंठित महसूस करते थे तो शिक्षा तो दूर की बात है। लेकिन भारत सरकार की नीति का थोड़ा बहुत असर तो बिहार में भी देखने को मिली। पिछले दो- तीन दशक से बिहार की शैक्षिक स्थिति में सुधार हुआ हैं यहाँ भी भेद- भाव धीरे धीरे कम हुए सभी बच्चे को विधालय से जोड़ने की मुहिम यहाँ की राज्य सरकार ने शुरू की। बिना भेद भाव के बच्चे विधालय से जुड़ने लगे इसके लिए राज्य सरकार ने तरह तरह की योजनाएं की सुरुआत की जैसे- बिहार सरकार ने ट्राई साईकिल की सुरुआत की है, जहाँ पहले दिव्यांग बालक को पैदल साईकिल दी जाती थी लेकिन अब बिहार सरकार ने 2023 से इन दिव्यांग बालको को बैट्री संचालित

साईकिल प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ बिहार के लगभग 10000 दिव्यांग को मिलेंगी। इसके लिए बिहार सरकार ने 42 करोड़ बजट का प्रावधान किया हैं। विकलांगों के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। इसी कड़ी में बिहार के सरकार ने भी विकलांगों के सशक्तिकरण के बिहार विकलांग सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की है। बिहार सरकार समावेशी शिक्षा को सही से क्रियान्वयन के लिए शिक्षको को प्रक्षिशण देने की कार्य कर रही है, सभी बच्चो को विद्यालय में समान पोशाक वितरण कर रही है ताकि भेद भाव नही रहे, हर पंचायत में उच्चतर माध्यमिक विधालय की स्थापना की है ताकि सभी बच्चे या तो समान हो या विशिष्ट सभी अपने ही पंचायत में उच्चतर माध्यमिक तक की शिक्षा बिना भेद भाव के ग्रहण कर सके। विशिष्ट बालको के अनुरूप विधालय के भवनों को बनाया जा रहा है ,विधालय में विशिष्ट बालको के लिए शिक्षण समाग्रि उपलब्ध कराई जा रही हैं। बच्चे जो बेहतर कर रहे है उनके लिए प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा मुहैया करवाई जा रही हैं, विधालय में तरह तरह की नाटक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बच्चो को एक साथ पढ़ने को प्रोत्साहित की जा रही है। खेल में भी विशिष्ट बालको को जगह दी जा रही है ताकि वे भी अपने आप को समान्य बालक समझे। शिक्षण संस्थान में नामांकन के लिए विशिष्ट बालको को विशेष आरक्षण की सुविधा दी गई है ताकि सभी बालक या तो समान्य हो या विशिष्ट सभी शिक्षा में पीछे नही रह सके इसलिए विशिष्ट बालक को नामांकन में आरक्षण दे कर उन बालको को भी शिक्षा मुहैया कराई जा रही हैं। नौकरी में भी विशिष्ट बालको को सरकार आरक्षण देने की कार्य कर रही है ताकि विशिष्ट बालक ये नही समझ सके की उनको शिक्षा के बाद नौकरी नही मिलेगी इसलिए उन्हे आरक्षण सरकार द्वारा दी जा रही है।बिहार सरकार समावेशी शिक्षा के प्रति बहुत संवेदनशील है उनकी बहुत सारी योजनाएं बिहार में चल रही है ताकि बिहार की शैक्षिक स्थिति में सुधार हो सके हालांकि बिहार सरकार की योजना बहुत हद तक धरातल पे दिख रही है बिहार के सभी बच्चे चाहे समान्य हो या विशिष्ट सभी का विधालय में सकल नामांकन अनुपात में व्यापक वृद्धि हुई हैं। जाहिर सी बात है अगर समाज शिक्षित होगा तो समाज विकास की राह पकड़ेगा अगर समाज विकसित होगा तो राज्य और देश भी विकास की ओर अग्रसर होगा।

II. CONCLUSION

समाज में पिछले पायदान में विशिष्ट बालक जो पिछले बहुत समय से हासिये पे थे उनको भी समाज विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए अग्रसर है क्योकि कोई भी समाज बिना सभी के सहभागिता से विकसित नही हो सकता समाज के विकाश में समाज में रह रहे सभी व्यक्ति की सहभागिता जरूरी है। सरकार भी इस दिशा में सक्रामत्मक भूमिका निभा रही है। इसका परिणाम बिहार में भी दिख रहा है बिहार समावेशी शिक्षा को बहुत हद तक अपना चुका है और भी इस नवीन शिक्षा पद्धति बहुत पे शोध हो रहे है ताकि समाज और हम सब के वातावरण से भेद भाव शब्द ही लुप्त हो जाए, सभी बालक को एक समान रुप में देखा जाए।जब हम कहते है की सभी बच्चे हमारे देश तथा प्रदेश के भविष्य है तब हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है की हम सब इन सबो को अच्छी व गुणवत्तापुर्ण शिक्षा मुहैया कराये और उन्हे देश तथा समाज में अपनी सक्रामत्मक भूमिका निभाने को तैयार करे। इसके लिए शिक्षको को आगे आना होगा क्योकि शिक्षको को ही समाज का निर्माता और समाज का मार्गदर्शक माना जाता है। उन्हें सबको बिना किसी भेद भाव के सभी बालको में आत्मिय संबंध को स्थापित कराना होगा तभी समावेशी शिक्षा सार्थक हो सकेगी।

REFERENCES

1. कोठारी आयोग (1964-66)
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)
3. राष्ट्रिय सैंपल सर्वे (2018),76 वे चरण।
4. भार्गव राजश्री(2016) समावेशी शिक्षा।
5. बिहार इकोनॉमिक सर्वे।